रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232038
CG-DL-E-21122021-232038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4925] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943
No. 4925] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5316(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 13 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3702(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, झारखण्ड राज्य के कोडरमा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान, तारीख 19 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के कोडरमा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला कोडरमा

क्रम सं.	अंचल का नाम	मौजा का नाम	खाता सं0	गाटा सं0	अंश/कु	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हे0 में)	जमीन का प्रकार	जमीन की प्रकृत	भूमि के मालिक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जयनगर /65	कन्द्रपडीह	110	637	अंश	0.240	0.0971	रैयती	टांड़ दो नई परती	नारायण सूण्डी 1 अंश केवल पिता–थानु सुण्डी 1 अंश जाति सूनडी नि0निजग्राम।
2	जयनगर /69	रेभनाडीह	36	428	अंश	0.0140	0.00566	रैयती	टांड़ तीन	मेघु गोप वो चुनु गोप वो विशुन गोप वो मनसी गोप पेशरान अनहच गोप कौम ग्वाला साकिन–देह।
3	जयनगर /140	प्रतापपुर	21	135	अंश	0.1152	0.0466	रैयती	धान खेत तीन	ललीत कुम्हार वल्द धनी कुम्हार कौम कुम्हार सा0–योगियाटिल्हा।
4			10	149	अंश	0.1161	0.0470	रैयती	धान खेत तीन	दौलत कुम्हार वो करमा वो अकला पेशरान डोमन कुम्हार कौम कुम्हार सा0–योगियाटिल्हा। बहिस्सा बराबर।
5	जयनगर/ 143	बेहराडीह	63	957	अंश	0.01	0.004	रैयती	टांड़	समद ग्वाला वो केवल पेशरान मनसा वो निरआ वल्द निरमल कौम ग्वाला सा0–देह। बहिस्सा बराबर।
6			47	1402	अंश	0.01	0.004	रैयती	धान खेत तीन	बाचन धोबी वो नन्हकु पेशरान मानदे 1 हिस्सा बहिस्सा बराबर वो गोपाल वल्द बालकी 1 हिस्सा कौम धोबी सा0–देह।
7	जयनगर /144	तिलोकरी	6	314	अंश	0.06	0.0242	रैयती	टांड़ तीन	अशरफ खाँ वल्द नुरउल्ला खाँ कौम पठान सा0–देह टोला–गढ़वाटांड़।

[फा. सं. 2021/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2250]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5316(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3702(E), dated the 10th September, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 13th September, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Koderma in the State of Jharkhand;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran and Hindustan, dated the 19th September, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Koderma in the State of Jharkhand.

DISTRICT: KODERMA

Sl. No.	Name of Thana/No.	Name of Mouza	Khata No.	Plot No.	Part/ Full	Area (In Acre)	Area (In Hectare)	Type of Land	Nature of Land	Record Owner Name
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jainagar/65	Kandrapdih	110	637	Part	0.240	0.0971	RAIYAT	Tand do Nai Parti	Narayan Sundi1 Ansh Kewal S/o Thanu Sundi 1 Ansh Kaum Sundi Niwashi Nijgram.
2	Jainagar/69	Rebhnadih	36	428	Part	0.0140	0.00566	RAIYAT	Tand Teen	Meghu Gope, Chunu Gope, Bishun Gope, Manshi Gope Pesran Anhach Gope Kaum Gawala Sakin-Deh.
3	Jainagar/140	Pratappur	21	135	Part	0.1152	0.0466	RAIYAT	Dhan Khet Teen	Lalit Kumhar wald Dhani Kumhar Kaum-Kumhar Sakin-Yogiyadilha.
4			10	149	Part	0.1161	0.0470	RAIYAT	Dhan Khet Teen	Daulat Kumhar, Karma, Akala Pesran Doman Kumhar Kaum-Kumhar Sakin-Yogiyadilha Bhissa Barabar.

5	Jainagar/ 143	Behradih	63	957	Part	0.01	0.004	RAIYAT	Tand	Samad Gwala, Kewal Pesran Mansa, Nirwa wald Nirmal Kaum gwala Sakin-deh Bhissa Barabar.
6			47	1402	Part	0.01	0.004	RAIYAT	Dhan Khet Teen	Wachan Dhobi, Nanhku Pesran Mande 1 hisa Bhissa Barabar Gopal Wald Balki 1 hissa Kaum Dhobi Sakin-deh.
7	Jainagar/144	Tilokari	6	314	Part	0.06	0.0242	RAIYAT	Tand Teen	Asraf Khan Wald Nurulla Khan Kaum Pathan Sakin-deh Tola Garhwatand.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2250]
PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.21 15:44:26 +05'30'